The Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2023 ? passed

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

?कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम ,2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, क्या आप विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति जी, भारत में वर्ष 1961 में सबसे पहले एक सरकारी आदेश से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कल्पना की गई। वर्ष 1961 से 1995 तक पहले कोलकाता, बाद में अहमदाबाद, फिर बेंगलुरू, लखनऊ, इन्दौर और कोझीकोड में छ: आईआईएम का गठन किया गया।

बाद में, वर्ष 2007 से वर्ष 2012 में और 7 इंस्टीटयूट्स का गठन किया गया, जिसमें शिलांग, राँची, रोहतक, रायपुर, काशीपुर, तिरुचिरापल्ली और उदयपुर शामिल थे। उसके बाद वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष में प्रधान मंत्री मोदी जी की कल्पना के आधार पर अमृतसर, बोधगया, जम्मू, नागपुर, संबलपुर, सिरमौर और विशाखापत्तनम में कुल 7 नए आईआईएम्स का गठन किया गया। इस विधेयक के अन्दर मुम्बई में 60 के दशक से चली आ रही नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग नीति, जिसकी सन् 1963 से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में मान्यता है, जिसकी टेक्नो-मैनेजेरियल कोर्सेस चलाने में विशेषज्ञता है, ऐसे इंस्टीटयूट को बिना वित्तीय बोझ के साथ आईआईएम का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की अनुशंसा, इस प्रकार का प्रस्ताव इस बिल में है।

सभापति महोदय, इसमें संशोधन की इसलिए आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वर्ष 2017 के बाद वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू की गई। इसके तहत सारे शिक्षण संस्थानों के मैनेजमेंट का चरित्र, गवर्नेंस का चरित्र तथा एकेडमिक आटोनॉमी को बरकरार रखते हुए अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नेंस यूनिफॉर्मिटी आएगी।

सभापति महोदय, हम अनुभव के आधार पर कुछ सुधारों को लेकर सदन में आए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस बिल को यह सदन सर्वसम्मति से पारित करे।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम ,2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने माननीय मंत्री जी के द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक दी इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, 2023 के संशोधन विधेयक, जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

मैं इस विधेयक के समर्थन में यह बोलना चाहता हूँ कि अभी जब माननीय मंत्री जी द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया तो उन भावनाओं को देखते हुए प्रस्तुत किया गया कि यह देश के युवाओं के लिए तथा देश की ग्रोथ के लिए एक सक्सेस स्टोरी होगी। आज आईआईएम, आईआईटी भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2023 के संशोधन के संबंध में विचार रखा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि जब इस सदन में वर्ष 2017 का संशोधन विधेयक लेकर आए थे, उस समय पहली बार इन आईआईएम्स को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया था और नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा देने के बाद कम से कम इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट में विद्यार्थी कम से कम मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करते थे तथा तब तक वे इंस्टीटयूट्स केवल डिप्लोमा देते थे। पहली बार हमारी सरकार ने आईआईएम को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया और इन संस्थानों ने फिर डिग्री देना शुरू किया और उस डिग्री की ख्याति आज न केवल भारत में है, बल्कि पूरी दुनिया के देशों में है। यहां तक कि अगर हम सिलिकॉन वैली में जाएं या चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब जगह इसकी ख्याति है।

आज मंत्री जी वर्ष 2023 का संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, उसी श्रृंखला में माननीय मंत्री जी आगे बढ़ें। अभी तक नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा था, लेकिन जिस तरह की आईआईएम की पढ़ाई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके हिसाब से आज दुनिया के ग्लोबल एक्सीलेंस में वैश्विक उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि यह संशोधन विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी दुनिया में अगर हायर एजुकेशन की बात होती है तो युनाइटेड स्टेट्स के आइवी लीग की बात होती है, उसमें रिसर्च और सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज हम इस संशोधन के बाद कह सकते हैं और माननीय मंत्री जी ने जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उल्लेख किया है कि आज हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पिलर्स क्या हैं?

हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पिलर्स में से एक enhancement of capacity है। आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं। देश के युवाओं के एक्सीलेंस, देश के युवाओं की प्रतिभा, देश के युवाओं की कुशाग्रता एवं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे एन्हांस कर सकते हैं? ?(व्यवधान) इस बिल में enhancement of capacity building समाहित है।?(व्यवधान) इसी तरह से हमारी एजुकेशन पॉलिसी के पांच पिलर्स हैं। उनमें दूसरी ऐक्सेसिबिलिटी, तीसरी क्वालिटी, चौथी फेयरनेस और पांचवीं एकाउंटिबिलिटी है।?(व्यवधान) आज हम इन संस्थाओं को एकाउंटेबल बना सकें।?(व्यवधान) क्योंकि इन संस्थानों को तीन सालों में रिपोर्ट देनी होती थी।?(व्यवधान) एक बेंगलुरु को छोड़ करके किसी ने रिपोर्ट नहीं दी। ?(व्यवधान) आज इन सभी में एकरूपता आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, इसके लिए हम यह संशोधन लेकर आए हैं।?(व्यवधान)

जैसे महामहिम राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में विजिटर्स नियुक्त होते हैं, डेजिगनेट होते हैं। ?(व्यवधान) ऐसे ही वे विजिटर्स होंगे और वे एकाउंटेबल होंगे।?(व्यवधान) सारी संस्थान की स्थितियां यह बनेगी। ?(व्यवधान) उसमें जो प्रेजिडेंट होंगे, तो चाहे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हों, उसके चेयरपर्सन को नॉमिनेट करना हो या उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जिस तरह से काम करने की बात हो। ?(व्यवधान) इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज हमारी जो एजुकेशन है, उसमें हमने रिकॉर्ड बजट बढ़ाया है।?(व्यवधान) हायर एजुकेशन में एक लाख, 12 हजार करोड़ रुपए, आज तक कभी हायर एजुकेशन का इतना बड़ा बजट नहीं था।?(व्यवधान) मुझे लगता है कि जहां नेशनल इम्पॉर्टेंस के 75 संस्थान थे, इस बजट से आज वे संस्थान 135 हो गए हैं। मुझे लगता है कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है।?(व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Sir, for allowing me to speak on this Bill. *...(Interruptions)* I would welcome this Bill, and also appreciate the hon. Minister for including the National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai under the ambit of IIM, Mumbai. *...(Interruptions)* But the problem with this Bill is with regard to what the Ministry has been saying for the last three years and what they have brought in. *...(Interruptions)*

The first thing is with regard to the National Education Policy (NEP). The National Education Policy was launched by the Ministry about three years back where it had a vision that it will give more autonomy and freedom to the institutes to launch new courses. But this Bill is actually going in the opposite direction after inclusion of Visitor?s clause in Section 10 (2) and in Section 16 (c) of the Bill. *...(Interruptions)* This actually removes the autonomy of these institutes. *...(Interruptions)* These are the powers which these institutes have been using for the last 40 years, and they have produced amazing CEOs who are providing their services across the country. *...(Interruptions)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : सभापति महोदय, दोनों आदरणीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं दोनों का आभार प्रकट करता हूं। विशेष कर आंध्र प्रदेश के हमारे माननीय सदस्य मित्र ने एक शंका जताई है।? (व्यवधान) विजिटर्स यानी यहां सभापति जी कौन होते हैं।? (व्यवधान) विजिटर्स, देश के परम आदरणीय राष्ट्रपति जी होते हैं।? (व्यवधान) जगदम्बिका जी अपने बयान में एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार इस देश में पहली बार, जो एक इनफॉर्मल कोर्स चलता था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसको पार्लियामेंट में एकट में परिवर्तित करके 2017

में उसको National Institute of importance का दर्जा दिया। है। उसको एक प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री एवं मास्टर डिग्री देने और पीएचडी करने की व्यवस्था की।

मैं आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि आईआईटी के विजिटर्स कौन हैं, उसका प्रमुख कौन हैं। विजिटर्स के नाम पर आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं। आईजर के कौन प्रमुख है, एनआईटी के कौन प्रमुख हैं, सभी में भारत के राष्ट्रपति जी प्रमुख हैं। पिछले तीन-चार सालों में अनुभव हुआ है, कई प्रकार की विसंगति ध्यान में आई हैं, जो लोकल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बना, उन्होंने भारत के कई सारे constitutional obligation, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति में रिजर्वेशन देना, भारत सरकार की जीएफआर के प्रति एकाउंटिबिलिटी, एकाउंटेबल रहना।

भारत की सर्विस, कंडक्ट रूल्स का पालन करना, ये सब नहीं हुए। इसके कारण आज आईआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में क्या कोई प्रश्न उठाता है?? (व्यवधान) एनआईटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में क्या कोई प्रश्न उठाता है? ? (व्यवधान) आने वाले दिनों में भी आईआईएम की एकेडमिक ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।? (व्यवधान) हम सदन में यह वचन देते हैं, लेकिन इसमें लगभग 6 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निवेश हुआ है।? (व्यवधान) यह संस्था भारत सरकार की संस्था है और राज्य सरकारों की संपत्ति लगी है। यह निजी संपत्ति में परिवर्तित नहीं हो सकता है इसलिए मैनेजमेंट एकाउंटबिलिटी के लिए यह व्यवस्था लाई गई है।? (व्यवधान) एकेडमिक ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी। मैं पुन: सभी से निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें।? (व्यवधान)

माननीय सभापति:प्रश्न यह है:

?कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री रितेश पाण्डेय जी और डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ने इस विधेयक पर अपने-अपने संशोधन दिए हुए हैं। अगर वे अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता हूं।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 12 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

? (व्यवधान)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बारह बजकर पचास मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.43 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifty Minutes past

Twelve of the Clock.

12.50 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)